न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला–सलूम्बर

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 41/2021 प्रा.प.

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2021/32

उनवान

1. श्री रताजी उर्फ रतिया मीणा पिता नवला जी मीणा, आयु बालिग, निवासी गुरुओं का चिबोडा, तहसील सलुम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)।

– **प्रार्थी**

बनाम

1. मृतक हीरिया पिता पालिया मीणा के बजाय का.मु. वारिसान–
   1/1 श्री भेरा पिता स्व. हीरिया मीणा उम्र बालिग निवासी गुरूओ का चिबोडा
   1/2 श्रीमती गेबी पत्नी स्व. हीरिया मीणा उम्र बालिग निवासी गुरूओ का चिबोडा
   1/3 श्रीमती लक्ष्मी पुत्र स्व. हीरिया मीणा उम्र बालिग निवासी गुरूओ का चिबोडा हाल निवासी जेलावतफला, गांवडापाल तहसील सलूम्बर (राज.)।
   1/4 श्रीमती वकती पुत्र स्व. हीरिया पत्नी कुबा मीणा उम्र बालिग निवासी गुरूओ का चिबोडा हाल निवासी झलारा पटवार हल्का कडुणी, तहसील सलूम्बर (राज.)।
   1/5 श्रीमती मंजु पुत्री स्व. हीरिया पत्नी पृथ्वीराज मीणा उम्र बालिग निवासी गुरूओ का चिबोडा हाल निवासी बेडास, तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)।
2. श्री प्रबन्धक महोदय, मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा करावली, तहसील सलुम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)।
3. भूमिधारी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब सलुम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)।

– **विपक्षीगण**

सहायक कलेक्टर सलूम्बर ● सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 39 नियम 1 व 2 जा.दी.

–::निर्णय::–

दिनांकः– 19/05/2026

उपस्थितिः श्री नारायणसिंह चुण्डावत अधिवक्ता – प्रार्थी
विपक्षीगण –एक पक्षीय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 39 नेयम 1 व 2 सी. पी. सी. का प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थी ने विपक्षी सं. 1 व उसकी वेधवा माँ श्रीमती दलुडी बेवा पालिया मीणा निवासी गुरूओं का चिबोडा, पटवार हल्का चेबोडा तह. सलुम्बर में स्थित कृषि भूमि पुराने खसरा नं. (आराजी नं.) 76, 88, 87 रकबा क्रमशः आधा बिघा, तीन बिस्वा, एक बिघा एक बिस्वा कुल डेढ बिघा चार बिस्वा भूमि जो देनांक 03–07–1995 को विपक्षी सं. 1 व उसकी विधवा माँ श्रीमती दलुडी सहखातेदार के रूप में खातेदार होने की वजह से दोनों ने पंजीयन कार्यालय सलुम्बर में स्वयं उपस्थित होकर विपक्षी सं. 1 ने अपने हस्ताक्षर एवं श्रीमती दलुडी ने अपने अंगुष्ठ निशानी लगाकर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर जिला – सलूम्बर
समक्ष – श्री जगदीशचन्द बामनिया आर.ए.एस
वाद संख्या–41 / 2021

उनवान– श्री रताजी बनाम मृतक हीरिया के वाजय शेरा व अन्य   प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. एक्ट

एक बिकावनामा कृषि भूमि तादादी 8,000 / – अक्षरे आठ हजार रूपये नकद प्राप्त कर श्री भगवतीलाल जी सोनी प्रलेखक रजिस्ट्रेशन नं. 32 के द्वारा तैयार करवा पंजीयन कार्यालय सलुम्बर में प्रस्तुत कर गवाहान श्री नानजी पिता भालाजी मीणा एवं हमेरसिंह पिता देवीसिंह राजपुत निवासी सिंगावली की उपस्थिति व उनके अंगुष्ठ निशानी व हस्ताक्षर से उपरोक्त आराजीयात में से आ.नं. 76 व 88 का रकबा पुरा व आ.नं. 88 के रकबे में से 1 / 2 रकबा का बिकावनामा यानि 1 बीघा भूमि का बिकावनामा का रजिस्ट्रेशन सम्पादित करा दिनांक 05–07–1995 को सम्पादित प्रार्थी के पक्ष में सम्पादित करवा दिया था व उसी बिकावनामें में उक्त आराजी का भौतिक रूप से कब्जा भी सिपुर्द करा दिया था जिससे तनी से उक्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा बेरोकटोक लगातार चला आ रहा है तथा उक्त तीनों पुराने आराजी के मिलान क्षैत्रफल अनुसार नये आराजी नम्बर 160 / 0.10, 167 / 0.19, 168 / 0.08 कुल किता 03 रकबा 0.37 हैक्टेयर बने है कुल रकबा 0.37 हैक्टेयर में से रकबा 0.2160 हैक्टेयर पर प्रार्थी काबिज काश्त है।

प्रार्थी अनपढ गरीब आदिवासी होने से बिकावनामें की रजिस्ट्री प्राप्त कर एक प्रति तत्कालीन हल्का पटवारी साहब को नामान्तरण के लिये दी व निश्चिंत हो गया कि उक्त आराजी प्रार्थी के खाते हो गई है, तत्कालीन हल्का पटवारी साहब ने उक्त भूमि का नामन्तरण नहीं दर्ज किया जिसकी जानकारी आज से 2–3 महिने पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि के लिये उक्त खेत को फिडिंग के लिये वर्तमान हल्का पटवारी साहब के पास गया तो वर्तमान हल्का पटवारी साहब ने मौक देख व उक्त रजिस्ट्री को मंगवा देख कहा कि उक्त भूमि तो तुम्हारे नाम नहीं है जब तक उक्त भूमि पर श्री हीरीया द्वारा लिया गया मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा करावली में बाकीयात ऋण जमा नहीं हो जाता है तब तक हम नामान्तरण दर्ज नहीं कर सकते है। जिस पर प्रार्थी उक्त बैंक में गया तो वहां से भी जानकारी मिली की हॉ उक्त भूमि पर ऋण बाकी है, जिस पर ऋण जमा कराने के लिये प्रार्थी ने विपक्षी सं. 1 को कहा तो उसने जमा कराने से साफ मना कर दिया है तथा पुनः जब प्रार्थी स्वयं बैंक में बाकी रूपये स्वयं जमा करने को कहा तो बैंक वाले अधिकारी भी विपक्षी सं. 1 के ही द्वारा ऋण राशि जमा कराने पर एनओसी जारी करने को कहा व प्रार्थी के द्वारा दी जा रही राशि नहीं ले ऋण राशि जमा नहीं करने से मजबुरी में आप न्यायालय में उक्त आराजी खातेदारी कराने के लिये एवं घोषणा कराने के लिये एक वाद बाबत् खातेदारी घोषणा कराने का वाद पत्र पेश किया है और साथ ही यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी आप श्रीमान् के समक्ष पेश है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात प्रार्थी द्वारा क्रय की जाकर भौतिक रूप से प्रार्थी उस भूमि पर काबिज हो काश्त करता चला आ रहा है जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षी के विरूद्ध है एवं सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है तथा उक्त भूमि को यदि प्रतिवादी अपने खाते होने से अवैध तरीके से प्रार्थी को बेदखल करता है तो प्रार्थी को पुरणीयक्षति होगी जिसकी भरपाई करना रूपयों पैसो से सम्भव नहीं है। अतः प्रार्थी की प्रार्थना है कि मुल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि में विपक्षी सं. 1 व उसके परिजन, नौकर, ऐजेन्ट, सिजारी आदि किसी भी प्रकार वादी के द्वारा क्रय की गई भूमि में किसी भी प्रकार की कोई भी दखलन्दाजी नहीं करे एवं जब तक उक्त भूमि वादी के खाते नहीं हो जावे तब तक किसी अन्य को हस्तान्तरण आदि नहीं करे व प्रार्थी को बेदखल करने का प्रयास नहीं करे की विपक्षी सं. 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की आज्ञप्ति जारी करावे।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

प्रार्थना पत्र जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलवी हेतु नोटिस जारी किया गये, किन्तु नियत तिथि को उपस्थित नहीं होने से आदेश दिनांक 06–05–2026 द्वारा उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली मे प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने बहस मे अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि कि उसने विवादित कृषि भूमि पुराने खसरा नं. 76, 87 एवं 88 स्थित ग्राम चिबोड़ा, तहसील सलूम्बर को दिनांक 03–07–1995 के पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से विपक्षी संख्या 1 एवं उसकी माता से क्रय किया था तथा तब से निरंतर उक्त भूमि पर कब्जे में होकर काश्त करता चला आ रहा है। नामांतरण दर्ज नहीं होने का कारण विपक्षी द्वारा उक्त भूमि पर लिया गया बैंक ऋण है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

बहस मनन की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया अभिलेख पर उपलब्ध पंजीकृत विक्रय विलेख से यह प्रतीत होता है कि विवादित भूमि पर प्रार्थी का प्रथम दृष्टया अधिकार एवं कब्जा स्थापित होता है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है तथा यदि अंतरिम संरक्षण प्रदान नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है जिसकी क्षतिपूर्ति धनराशि से संभव नहीं होगी।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण, उनके परिजन, नौकर, एजेन्ट अथवा उनके माध्यम से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को आदेशित किया जाता है कि वे वाद के अंतिम निस्तारण तक विवादित भूमि में प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे एवं काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे तथा उक्त भूमि का किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरण नहीं करेंगे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय दिनांक 19-5-26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर (राज.)

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर
जिला–सलूम्बर
सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर